



न्यायालय-माननीय मध्यप्रदेश राजस्व मंडल, ग्वालियर म.प्र. (केम्प उज्जैन)

प्र.क्र.- / 2013-14 पुनरीक्षण

2042 / I / 14

Handwritten notes in Hindi, including the name 'श्रीमती अनिताबाई' and other illegible text.

1. होकमसिंह पिता ओंकारसिंहजी राजपूत,  
2. विजेन्द्रसिंह पिता ओंकारसिंहजी राजपूत  
निकाहीगछा - ग्राम नैनावद, तहसील तराना, जिला उज्जैन, म.प्र.  
निगरानीकर्ता मण्डल - बनावद

1. श्रीमती अनिताबाई पति स्व. गोनीसिंहजी राजपूत, निवासी-ग्राम नैनावद, तहसील तराना, जिला उज्जैन म.प्र.
2. गोरधनसिंह पिता स्व. समंदरसिंहजी राजपूत निवासी-ग्राम नैनावद, तहसील तराना, जिला उज्जैन म.प्र.
3. ओंकारसिंह पिता समंदरसिंहजी राजपूत, निवासी-ग्राम नैनावद, तहसील तराना, जिला उज्जैन प्रत्यर्थांगण

XXXIX(a)BR(H)-11

हाकमसिंह आदि विरुद्ध श्रीमती अनीताबाई

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक दिनांक 2042 1971 14

दिनांक 1971

आवेदन

अनुविमोचन

आवेदन क्रमांक दिनांक

1971 14 प्रकरण में अवलोकन केवल एक आवेदक अधिवक्ता द्वारा सम्पन्न नहीं करने के विन्दु को ध्यान में रखते हुए विचार करने पर अलावा आदेश का अवलोकन करने के लिए निर्धारित अनुविमोचन अधिकारी को अवगम्य आदेश दिनांक 23.6.74 के दिखाने से को मंडल के आदेश का अवलोकन के लिये शर्त है कि अनुविमोचन अधिकारी ने आवेदकों के अनुपस्थित रहने के कारण अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन का निराकरण एकपक्षीय रूप से किया गया है यदि में आवेदक द्वारा संहिता की धारा 35 का आवेदन दिए गए पर अनुविमोचन अधिकारी ने आवेदन का निराकरण करते हुए उक्त प्रकरण की आगामी कार्यवाही में भाग लेने का वन आदेश दिए गए हैं प्रकरण के लिये का अवलोकन अनुविमोचन अधिकारी के आदेश से को मंडल द्वारा प्रतीत नहीं होता है प्रकरण का निराकरण सम्पन्न पर आदेश का आवेदन का लिये पर मंडल में अनुविमोचन अधिकारी के द्वारा प्रदर्शित अधिवक्ता के यह निर्णय को अवलोकन के लिये को मंडल सूचित हो प्रकरण उपरि उल्लिखित है

2  
1971